No.11012/7/2008-Estt. (A)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

.....

North Block,
New Delhi,
Dated the 17th April, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Classification of posts under the CCS (CCA) Rules, 1965

Under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, all Central Government posts are classified into four categories, viz., Groups "A", "B", "C" and "D". This classification at present is based on the norms prescribed by the Department of Personnel and Training vide S.O. 332(E) dated 20.04.1998 published in the Gazette of India Extraordinary.

2. As per clause (4) of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 notified vide notification No G.S.R. 622(E) dated 29.8.2008, the **pay band** and **grade pay** or the **pay scales**, as applicable, of every post/grade specified in column 2 of the First Schedule thereto shall be as specified against it in columns 5 and 6 thereof. Consequent upon the notification of the said rules, it has become necessary to prescribe revised norms for categorization of posts into the abovementioned four categories based on the pay band and grade pay or the pay scales as applicable, as approved by the Government. Accordingly, an Order classifying the various Central Civil Services posts into Group "A", "B", "C" and "D" based on the revised norms of pay has been notified in the Gazette of India Extraordinary vide S.O. 946 (E) dated 09.04.2009. A **copy** of the Order is enclosed. All posts in the Central Civil Services would now stand classified strictly in accordance with the norms of pay band and grade pay or pay scales as prescribed in the said Order.

4. In some Ministries/Departments, posts may exist which are not classified as per the norms laid down by this Department. If, for any specific reason, a Ministry/Department proposes to classify the posts differently,

it would be necessary for that Department to send a specific proposal to Department of Personnel and Training giving full justification in support of the proposal **within three months** of this O.M. so that the exceptions to the norms of classification laid down in S.O .946 (E) dated 09- 04 - 2009 can be notified.

(P.PRABHAKARAN)
Deputy Secretary to the Government of India

All Ministries/Departments of the Government of India.

Copy forwarded to

1. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
2. Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Ministry of Parliamentary Affairs.
3. Union Public Service Commission, New Delhi.
4. President's Secretariat/Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office.
5. Election Commission of India, New Delhi.
6. Central Vigilance Commission, New Delhi.
7. Staff Selection Commission, New Delhi.
8. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
9. Chief Secretaries of all State Governments/Union Territory Administrations.
10. All Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
11. All Officers and Sections in the Ministry of Personnel, PG and Pensions.
12. NIC (DOPT) with the request that this O.M. may be placed on the Department's website **(www.persmin.nic.in).**

(100 spare copies).

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 9th April, 2009

S.O. 946(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause 5 of article 148 of the Constitution read with rule 6 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Personnel and Training number S.O. 332(E) dated the 20th day of April, 1998, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby directs that with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, all civil posts under the Union, shall be classified as follows :—

Sl. No.	Description of Posts	Classification of posts
(1)	(2)	(3)
1. (a)	A Central Civil post in Cabinet Secretary's scale (Rs. 90000- fixed), Apex Scale (Rs.80000-fixed) and Higher Administrative Grade plus scale (Rs. 75500-80000); and	
(b)	A Central Civil post carrying the following grade pays :— Rs. 12000, Rs. 10000, Rs. 8900 and Rs. 8700 in the scale of pay of Rs. 37400-67000 in Pay Band-4, and Rs, 7600, Rs. 6600 and Rs. 5400 in the scale of pay of Rs. 15600-39100 in Pay Band-3	Group A
2.	A Central Civil post carrying the following grade pays :— Rs. 5400, Rs. 4800, Rs. 4600 and Rs. 4200 in the scale of pay of Rs. 9300-34800 in Pay Band-2.	Group B
3.	A Central Civil post carrying the following grade pays :— Rs. 2800, Rs. 2400, Rs. 2000, Rs. 1900 and Rs. 1800 in the scale of pay of Rs. 5200-20200 in Pay Band-1.	Group C
4.	A Central Civil post carrying the following grade pays :— Rs. 1300, Rs. 1400, Rs. 1600, Rs. 1650 in the scale of pay of Rs. 4440-7440 in 1S Scale	Group D (till the posts are upgraded)

Explanation : For the purpose of this order Pay Band, in relation to a post, means the running Pay Bands specified in Part-A, Section 1 of column 5 of the First Schedule to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.

[F. No. 11012/7/2008-Estt. (A)]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

सं.11012/7/2008-स्था(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लाक
नई दिल्ली,
दिनांक 17 अप्रैल, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अंतर्गत पदों का वर्गीकरण ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सभी पद 4 श्रेणियों अर्थात समूह 'क', 'ख' 'ग', और 'घ' में वर्गीकृत किए गए हैं । इस समय यह वर्गीकरण, असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 20.4.1998 के सा.आ. 332(अ) में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर आधारित हैं ।

2. दिनांक 29.8.2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 622(अ) के अंतर्गत अधिसूचित केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के खण्ड (4) के अनुसार, प्रथम अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पद/ग्रेड पर लागू वेतनबैंड और ग्रेडवेतन अथवा वेतनमान, वहीं होंगे जो उसके कॉलम 5 और 6 में विनिर्दिष्ट हैं । उपयुक्त नियमों की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा अनुमोदित किए अनुसार लागू वेतनबैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमानों पर आधारित उपर्युक्त उल्लिखित 4 श्रेणियों में पदों का वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मानदण्डों को निर्धारित करना आवश्यक हो गया है । तदनुसार, वेतन के संशोधित मानदण्डों के आधार पर केन्द्रीय सिविल सेवा के विभिन्न पदों को समूह 'क', 'ख' 'ग', और 'घ' में वर्गीकृत करते हुए एक आदेश भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक: 9.4.2009 की सा.आ.-946(अ) संख्या के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है । इस आदेश की एक प्रति संलग्न है । केन्द्रीय सिविल सेवाओं में अब सभी पद उपर्युक्त आदेश में निर्धारित वेतनबैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमानों के मानदण्डों के अनुसार पूरी तरह से वर्गीकृत समझे जाएंगे ।

4. कुछ मंत्रालयों/विभागों में ऐसे पद हो सकते हैं जो इस विभाग द्वारा विहित मानदण्डों के अनुरूप वर्गीकृत नहीं हैं । यदि किसी विशिष्ट कारण के लिए कोई मंत्रालय/विभाग पदों को अलग तरह से वर्गीकृत करने का प्रस्ताव करता है तो उस विभाग के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के तीन माह के भीतर अपने प्रस्ताव का पूरा समर्थन करते हुए अपना विशिष्ट प्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भिजवाएं ताकि दिनांक 9.4.2009 के सा.आ. 946 (अ) में विहित वर्गीकरण के मानदण्डों के अपवादों को अधिसूचित किया जा सके ।

प्रभाकरन

(पी.प्रभाकरन)
उप सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति प्रेषित

(1) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ।
(2) लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय ।
(3) संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली ।
(4) राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय ।
(5) भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
(6) केन्द्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली ।
(7) कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
(8) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों नई दिल्ली ।
(9) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के मुख्य सचिव ।
(10) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
(11) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
(12) एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त का.ज्ञा. को इस विभाग की वेबसाइट (www.persmin.nic.in)पर रखें ।

(100 अतिरिक्त प्रतियाँ)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2009/चैत्र 19, 1931

No. 605] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2009/CHAITRA 19, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

का.आ. 946(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की दिनांक 20 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 332(अ) का अधिक्रमण करते हुए तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, यह निदेश देते हैं कि शासकीय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से संघ के अन्तर्गत आने वाले सभी सिविल पद निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे :—

क्रम सं.	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. (क)	मंत्रिमण्डल सचिव के वेतनमान (90,000 नियत), शीर्षस्थ वेतनमान (80,000 नियत) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान (75, 500-80, 000 रु.) में कोई केन्द्रीय सिविल पद; और	
(ख)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :— 37,400—67,000/- रुपए के वेततमान में वेतन बैंड-4 में 12000/-रुपए, 10000/-रुपए, 89,00/-रुपए और 87,00/-रुपए और 15600-39100/-रुपए में वेतन बैंड 3 में 76,00/-रुपए, 66,00/-रुपए और 54,00/-रुपए	समूह क
2.	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :— 9300-34800/-रुपए के वेतनमान में वेतन बैंड-2 में 5400/-रुपए, 4800/-रुपए, 4600/-रुपए और 42,00/-रुपए	समूह ख
3.	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :— 5200-20,200/-रुपए के वेतनमान में वेतन बैंड-1 में 2800/-रुपए, 2400/-रुपए, 2000/-रुपए, 1900/-रुपए और 1800/-रुपए	समूह ग

(1)	(2)	(3)
4.	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :—	
	4440-7440/-रुपए के वेतनमान में 1 एस. वेतनमान में 1300/-रुपए, 1400/-रुपए, 1600/-रुपए और 1650/-रुपए	समूह घ (पदों के अपग्रेड कर दिए जाने तक)

स्पष्टीकरण : इस आदेश के आशय से किसी पद के संबंध में वेतन बैंड का अभिप्राय, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के कॉलम 5 के खण्ड-1 के भाग 'क' में विनिर्दिष्ट चल रहे वेतन बैंडों (रनिंग पे बैंड्स) से है।

[फा. सं. 11012/7/2008-स्था (क)]

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS